कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0 / दस–3(ग) / स्था0 2023–2024 / 1998 / 2023, दिनांक 08 / 06 / 2023

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनदेश सं0–5 / 2023 / 262 / सामान्य / 47 –का–4–2023–(1 / 3 / 96), दिनांक 07.06.2023 के साथ संलग्न शासनादेश सं0–8 / 2022 / सा0–119 / सैंतालीस –4–2022–(1 / 3 / 96), दिनांक 13.05.2022 (उ0प्र0 शासन के शासनादेशों की साईट पर उक्त शासनादेशो की प्रतियॉ नेट पर उपलब्ध है) द्वारा समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये है।

अतएव अपने–अपने कार्यालयों में 03 वर्ष से अधिक समय से एक पटल पर कार्यरत समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करके शासनादेश के अनुरूप प्रमाण पत्र 30 जून 2023 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय प्रेषित करेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यालयों में एक ही वरिष्ठ सहायक एवं एक ही कनिष्ठ सहायक कार्यरत है एवं उनके पास अन्य वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के पटल का चार्ज है उस स्थिति में पटल परिवर्तन की आवश्यकता नही होगी परन्तु इसकी सूचना मुख्यालय अवश्य प्रेषित की जाए।

कृपया शासनादेश एवं परिपत्र में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह / 08.06.2023
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठॉकन संख्या व दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2–निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (डी0डी0ओ0)
3–प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
4–वरिष्ठ सहायक आलेखक–प्रालेखक–1, मुख्यालय।
5–वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ